अति महत्वपूर्ण

संख्या- 420/तीस-4-2023

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2023

विषय : उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक यानों पर कर/पंजीयन शुल्क में छूट से लाभार्थ/सुविधार्थ जन-सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 14.10.2022 को अधिसूचित ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति, 2022'' के प्रस्तर-4.3 एवं प्रस्तर-4.4 के अन्तर्गत क्रमशः वित्तीय प्रोत्साहन एवं कार्यान्वयन की रूप-रेखा का प्राविधान किया गया है। तदनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास विभाग की उक्त नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक यानों पर कर/पंजीयन शुल्क में छूट से लाभार्थ/सुविधार्थ जन-सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निम्नवत् निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति, 2022 हेतु मानक संचालन प्रक्रिया-

क्रेताओं को निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे :-

(1) क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स से छूट के सम्बन्ध में-

(क) नीति अधिसूचित किये जाने के 03 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्रय एवं पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से।

(ख) नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय किये गये एवं पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत की दर से।

Go 2023

Scanned with CamScanner

(2) इस सब्सिडी योजना के लिए विशेष रूप से की गयी अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी :-

1. 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को रू0 5,000 प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।
2. 3 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को रू0 12,000 प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 36 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 30 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।
3. 4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 250 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।
4. ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 80 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य।
5. ई-गुड्स कैरियर के 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, 10 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर को अनुमन्य।

<u>नोटः-</u>

- व्यक्तिगत क्रेताओं को उपरोक्त क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू-व्हीलर या थ्री-व्हीलर या फोर-व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगा।
- एग्रीगेटर्स/फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को उपरोक्त क्रय सब्सिडी अधिकतम 10 टू-व्हीलर या थ्री-व्हीलर या फोर-व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगा।
- इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक बार अनुमन्य होगा। अनुमन्य ''क्रय सब्सिडी'' प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जायेगा।

(3) ''कार्यान्वयन की रूपरेखा''

(i) क्रेताओं/डीलरों को ईवी अंगीकरण सम्बन्धी समस्त प्रोत्साहन ईवी अंगीकरण हेतु नामित नोडल संस्था- परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके

Scanned with CamScanner

द्वारा नामित एजेन्सी द्वारा एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से मूल्यांकित एवं वितरित किये जायेंगे।

(ii) विस्तृत क्रियान्वयन नियम एवं सम्बन्धित शासनादेश/अधिसूचना परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) "मूलभूत नियम एवं शर्तें"

(i) इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की अन्य किसी नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। इस नीति के अन्तर्गत उल्लिखित प्रोत्साहन, भारत सरकार की योजना/नीति में उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।

(ii) नीति में व्याख्या की स्पष्टता की आवश्यकता होने पर, प्रस्तर-3.4 में गठित प्राधिकृत समिति (EC) की संस्तुति पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

(iii) नीति में व्याख्या की स्पष्टता की आवश्यकता होने पर, मूलभूत सिद्धान्तों, संरचना तथा समग्र रूपरेखा में कोई परिवर्तन, चार्जिंग स्टेशनों/बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन इस नीति के प्रस्तर 5.4.6(ग) में उल्लिखित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय प्राधिकृत ईवी समिति"(HLEEVC) की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा सकेगा।

2- कृपया उक्त निर्णय के अनुपालनार्थ अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि परिवहन अनुभाग-1/2/3 को विषयगत नीति के अपने से सम्बन्धित प्रस्तरों/बिन्दुओं पर समयान्तर्गत क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
विशेष सचिव

Scanned with CamScanner